

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या- 1141/2017जिला..... जयपुर.....

उनवान - दीपशिखा कला संस्थान पंजीकृत कार्यालय व्हाईट बिल्डिंग, जरिये अध्यक्ष श्री प्रेम सुराणा पुत्र श्री निर्मल कुमार सुराणा, प्लाट नं.8, गौरव नगर सिविल लाईन्स, जयपुर बनाम उप पंजीयक, सांगानेर प्रथम व अन्य

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
01.09.2017	<p style="text-align: center;"><u>खण्डपीठ</u> श्री वी.श्रीनिवास,अध्यक्ष श्री नत्थूराम, सदस्य</p> <p>पत्रावली पेश हुई। बहस के दौरान निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक श्री विनोद कुमार माथुर एवं अप्रार्थीगण के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह उपस्थित हुए।</p> <p>निगरानी की ग्राहयता के बिन्दु पर उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। निगरानी में विवादित मांग राशि की 25 प्रतिशत राशि निगराकर्ता द्वारा राजकोष में जमा करा दी गई है, जिसकी रसीद पत्रावली पर संलग्न है। निगरानी Subject to limitation श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।</p> <p>तत्पश्चात् स्थगन प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। निगरानीकर्ता का निगरानी में मुख्य आधार यह है कि उसके द्वारा क्रय की गयी भूमि कृषि भूमि है जिसका मूल्यांकन कृषि भूमि मानकर किया जाना चाहिये जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अधिसूचना दिनांक 09.03.2015 के आधार पर कृषि भूमि की डेढ गुणा की दर से मूल्यांकन किया है जो कि विधिसम्मत नहीं है, साथ ही निगरानीकर्ता/प्रार्थी ने भूमि का रूपान्तरण दिनांक 04.10.2013 को करवाया है तथा इससे पूर्व इस भूमि को गैर कृषि भूमि प्रयोजनार्थ नहीं माना जा सकता। विचाराधीन प्रकरण में रेफरेंस शिक्षण संस्थान द्वारा भूमि क्रय करने के कारण अधिसूचना दिनांक 09.03.2011 के अनुसार आवासीय का डेढ गुणा दर से मूल्यांकन रू0 4,69,72,360/- व तदनुसार मुद्रांक कर रू0 15,66,088/- व सरचार्ज रू0 1,56,609/- मय ब्याज शास्ति बाबत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अधिसूचना दिनांक 09.03.2015 लंबित मामलों में भी लागू होना मानते हुए व इस अधिसूचना के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार संस्थानिक प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि की डेढ गुणा दर से कुल मूल्यांकन रू0 2,34,74,870/- करते हुए मुद्रांक कर रू0 11,73,800/- तदनुसार पंजीयन शुल्क, ब्याज, शास्ति आदि कुल रू0 10,84,597/- वसूल किये जाने हेतु निर्देशित किया है। अधिसूचना दिनांक 09.03.2015 का बिन्दु संख्या-2 निम्न प्रकार है:-</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>	

लगतातर.....2

2. "रीको औद्योगिक क्षेत्र से बाहर संस्थानिक प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें

संस्थानिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि या संस्थानिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जा रही कृषि भूमि की दरें,-

(i) उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दर के डेढ गुना के समतुल्य होंगी जहां भूमि सहकारी सोसाइटियों/पूर्व संस्थाओं द्वारा क्रय की गयी है, और

(ii) अन्य मामलों में उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दर के दोगुना के समतुल्य होगी/

स्पष्टीकरण-(i) ऐसे क्षेत्रों में जहां कृषि भूमि की दरें जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश नहीं की गयी है, वहां संस्थानिक भूमि की दरें उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दरों के समतुल्य होगी।

(ii) संस्था- में शैक्षणिक संस्थाएं, प्रशिक्षण संस्थाएं, अस्पताल, बैंक, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कम्पनियां इत्यादि सम्मिलित होगी"

इसी प्रकार बिन्दु संख्या-6 निम्न प्रकार है:-


6. "कम्पनियों, फर्मों या संस्थाओं द्वारा क्रय की गयी कृषि भूमि की दरें,

कम्पनियों, फर्मों या संस्थाओं द्वारा क्रय की गयी कृषि भूमि की दरें उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के समतुल्य होगी"

अधिसूचना दिनांक 09.03.2015 के क्रम में प्रश्नगत दस्तावेज से संबंधित सम्पत्ति का मूल्यांकन कृषि भूमि की दरों के आधार पर बिन्दु संख्या 6 के आधार पर किया जाना चाहिये या बिन्दु संख्या 2 के अनुसार कृषि भूमि की डेढ गुना दर पर, यह बिन्दु परीक्षण योग्य है। उपरोक्त आधार से प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या सुविधा संतुलन प्रार्थी निगरानीकर्ता के पक्ष में प्रतीत होने से कलक्टर (मुद्रांक) जयपुर वृत्त तृतीय के विवादित आदेशान्तर्गत की जाने वाली शेष मांग राशि की वसूली कार्यवाही को आगामी नियत तिथि तक स्थगित रखा जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की सम्बन्धित पत्रावली तलब की जावे। अप्रार्थीगण के नोटिस पत्रावली पर उपलब्ध है, जो बाद जांच जारी हो। मिसल बाद कार्यवाही दिनांक 13.11.2017 को खण्डपीठ केम्प जयपुर के समक्ष पेश हो।

nc&sm -
(नत्थूराम)
सदस्य


(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष